भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल E-Mail : pcibpp@gmail.com वेबसाइट Website : www.presscouncil.nic.in

सार-वृत्त (रिज़्यूमे)
भारतीय प्रेस परिषद
नवंबर 1966- जुलाई 31,2021

भारतीय प्रेस परिषद का गठन प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर पहली बार वर्ष 1966 में किया गया । प्रेस के स्तरों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने तथा प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण के दोहरे कार्य का निर्वाह करते हुए, परिषद बहु आयामी भूमिका निभाती है । एक ओर यह सिविल न्यायालय की सभी शक्तियों के साथ अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है और दूसरी ओर, सलाहकार की हैसियत से यह ऐसे किसी भी मामले में प्रेस के साथ-साथ प्राधिकारियों का मार्गदर्शन करती है जिसका संबंध प्रेस की स्वतंत्रता और इसके संरक्षण से हो ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रेस परिषद की अध्यक्षता की जाती है जो परिपाटी के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के वर्तमान/सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं । इसके अतिरिक्त, परिषद में 28 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, पांच संसद के दोनों सदनों में से होते हैं और तीन सांस्कृतिक, साहित्य और विधि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और साहित्य अकादमी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा नामित किये जाते हैं ।

20,जोकि प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, विभिन्न पत्रकार संघों, संपादकों, समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्वामियों अथवा प्रबंधकों में से नामित किये जाते हैं ।

परिषद, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, प्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 सदस्यों का नामांकन भारत सरकार को भेजती है। केंद्र सरकार शेष आठ सीटों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू करती है और भारतीय प्रेस परिषद द्वारा नामित 20 नामों और संबंधित संगठनों से 8 नामों को अधिसूचित करती है।

देश में पंजीकृत समाचारपत्रों के परिचालन के आधार पर उन पर लगाये गये शुल्क के रूप में परिषद द्वारा एकत्रित किये गये राजस्व से परिषद के फंड्स की व्यवस्था की जाती है, घाटे को केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान से पूरा किया जाता है। यद्यपि, कुछ हद तक परिषद वित्त के लिए सरकार पर निर्भर है, तथापि जहाँ तक कार्यात्मक स्वायत्तता का संबंध है, यह अपने अर्ध न्यायिक कार्यों के निर्वाह में किसी बाह्य दबाव से पूर्णतया अप्रभावित रही है ।

अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में, परिषद के सम्मुख प्रतिवर्ष अधिकाधिक शिकायतें आती हैं। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि प्रेस को खतरे अथवा नीति उल्लंघन संबंधी मामलों में बढ़ोतरी हो रही है । वास्तव में, परिषद का मानना है कि प्रेस के साथ-साथ वे जोकि सत्ता की बागडोर सँभाले हुए हैं, कुल मिलाकर जिम्मेदार हैं। परिषद के सम्मुख दर्ज़ की जा रही शिकायतों की संख्या में लगातार वृद्धि का कारण यह है कि परिषद के फोरम को न्यायालयों की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि न्यायालयों में कार्यवाही, स्वाभाविक रूप से महँगी होती है और इसमें समय भी अधिक लगता है । परिषद शीघ्र ही न्याय प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील है और इसके लिए अलग-अलग प्रदेशों के मामलों की सुनवाई के लिए देश के अलग-अलग भागों में नियमित रूप से परिषद की बैठकें होती हैं ।

परिषद द्वारा प्राप्त की जाने वाली शिकायतें व्यापक रूप से दो श्रेणियों में आती है: प्रेस की स्वतंत्रता मैं प्राधिकारी/प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रेस द्वारा दर्ज की जाने वाली शिकायतें और पत्रकारिता के मानकों के उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकरण द्वारा प्रेस के विरूद्ध दर्ज़ की जाने वाली शिकायतें । किसी भी ऐसे मामले, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप की संभावना हो, से

व्यथित कोई भी प्रेस कर्मी परिषद के सम्मुख जा सकता है । इसी प्रकार, किसी भी समाचारपत्र अथवा पत्रिका में प्रकाशन अथवा अप्रकाशन अथवा संपादक के रूप में पत्रकार के आचरण से व्यथित कोई भी व्यक्ति जनरूचि और पत्रकारिता नीति के मान्य मानकों के उल्लंघन के लिए परिषद के सम्मुख शिकायत दर्ज कर सकता है । परिषद को अधिनियम के अंतर्गत अपने कृत्यों का निर्वाह करने के लिए किसी प्राधिकरण, जिसमें सरकार भी शामिल है, के आचरण के संबंध में टिप्पणियां, यदि वह ऐसा आवश्यक समझे, करने का अधिकार है । प्रेस के विरूद्‌ध शिकायतों के संबंध में यदि परिषद को ऐसा लगता है कि एक समाचारपत्र अथवा समाचार एजेंसी ने पत्रकारिता नीति अथवा जनरूचि का उल्लंघन किया है अथवा यह कि संपादक अथवा श्रमजीवी पत्रकार ने कोई व्यावसायिक कदाचार किया है, तब यह समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, संपादक अथवा पत्रकार को चेतावनी दे सकती है, उसकी भर्त्सना अथवा परिनिंदा कर सकती है अथवा संपादक या पत्रकार के आचरण का अननुमोदन कर सकती है । इस प्रकार, परिषद को उच्च नैतिक प्राधिकार है । इसके निर्णय अंतिम होते हैं और किसी विधि न्यायालय मे उनपर प्रश्न नहीं किया जा सकता । परिषद के निर्णयों को मीडिया और प्राधिकारियों द्‌वारा सामान्यतया स्वीकार किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है ।

<u>सलाहकार की भूमिका और रिपोर्ट</u>

सलाहकार की भूमिका में परिषद की राय, विधायी मापदंडो पर, चाहे वे लागू हों अथवा उन्हें लागू करने का प्रस्ताव हो, राज्य के विभिन्‌न औपचारिक अभिलेखों द्‌वारा नियमित रूप से मांगी जाती है । परिषद ने ऐसे विभिन्‌न मामलों का अध्ययन भी स्वतः आरंभ किया है जिनका संबंध प्रेस की स्वतंत्रता अथवा इसके स्तरों से है। ये, जिनमें से कुछ को उद्‌धृत किया गया है, विभिन्‌न विषयों को कवर करते हैं जैसे:-

- संसदीय विशेषाधिकार (1967/1982/2003);
- एकाधिकार और समाचारपत्रों के स्वामित्व का संकेंद्रण (1967);
- लघु और मध्यम समाचारपत्रों की समस्यायें और अखबारी कागज़ की समस्या (1981/1992);

- मानहानि कानून (1984);
- पंजाब रिपोर्ट (1991);
- अयोध्या रिपोर्ट (1993);
- बिहार रिपोर्ट(1993);
- जम्मू और कश्मीर रिपोर्ट (1994);
- बिहार रिपोर्ट(1993);
- मीडिया में महिलाओं का चित्रांकन (1996);
- रक्षा संबंधी मामलों पर प्रेस रिपोर्टिंग (1993);
- एड्स मामलों पर रिपोर्टिंग(1993)- दिशानिर्देश, वर्ष 2008 में अपडेट किए गए;
- देश में निर्वाचन प्रक्रिया की प्रेस कवरेज और मतदान संबंधी सर्वेक्षणों का प्रकाशन (1996);
- राजस्थान राज्य में प्रेस पर अंकुश पर रिपोर्ट (1997);
- उर्दू समाचारपत्रों की समस्याओं पर रिपोर्ट (1997);
- प्राधिकारियों द्वारा पत्रकारों को दिये गये अनुचित अनुग्रह पर रिपोर्ट (1998);
- समाचारपत्रों के बंद होने पर रिपोर्ट (1998);
- प्रसिद्ध व्यक्तियों की निजता के अधिकार पर रिपोर्ट, और प्रेस (1998);
- 12वें आम चुनाव की प्रेस कवरेज पर रिपोर्ट (1998 और 1999);
- विधानसभा चुनाव 1998 और फरवरी, 2000 के दौरान प्रेस की भूमिका पर रिपोर्ट;
- प्रिंट मीडिया की भूमिका पर रिपोर्ट, आपदाओं से निपटने के लिए लोगों को तैयार करना (2000);
- असम में प्रेस और पत्रकारों पर कथित नृशंसता पर भारतीय प्रेस परिषद् की दो सदस्यीय तथ्य खोजी समिति की रिपोर्ट (2001);
- प्रिंट मीडिया का भविष्य (2001);
- 19 जनवरी, 2001 को इलाहाबाद में कुंभ मेले के दौरान पत्रकारों पर

पुलिस द्वारा कथित पाशविक लाठी चार्ज की जांच हेतु गठित तथ्य खोजी समिति की रिपोर्ट;

- तमिलनाडु के पत्रकारों पर हमले के संबंध में तथ्य-जांच समिति, चेन्नई की रिपोर्ट (2001);
- गुजरात रिपोर्ट (2003);
- न्यायालय की अवमानना (संशोधन) विधेयक, 2005;
- आदर्श प्रेस प्रत्यायन नीति पर उप–समिति की रिपोर्ट (2007);
- लघु और मध्यम समाचारपत्रों की समस्याओं पर उप समिति की रिपोर्ट (2007);
- संविदा के आधार पर पत्रकारों की नियुक्ति बनाम श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के मुद्दे पर उप समिति की रिपोर्ट (2007);
- असम मीडिया और मणिपुर मीडिया को उल्फा द्वारा दी गई धमकियों के संदर्भ में शुरू की गई स्व-प्रेरणा जांच पर मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट(2007);
- एचआईवी/एड्स और मीडिया से संबंधित दिशानिर्देशों को 1993 में तैयार किया गया और 2008 में अद्यतन किया गया
- करावली अले, मैंगलोर के मुख्य संपादक पर हमले और तत्पश्चात् पुलिस प्राधिकारियों की असंतोषजनक भूमिका के संबंध में मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट (2009);
- बटला हाउस मुठभेड़ की मीडिया कवरेज पर रिपोर्ट (2009);
- श्री समीउद्दीन नीलू, लखीमपुर खीरी स्थित अमर उजाला के स्टाफ रिपोर्टर की श्रीमती पद्मजा, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश के खिलाफ शिकायत में तथ्य-खोजी समिति की रिपोर्ट (2010);
- उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को पुलिस द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के मुद्दे पर विचार करने के लिए मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट (2010);
- पेड समाचार पर रिपोर्ट (2010);

- मीडिया कंपनियों द्वारा निजी संधियों के मुद्दे पर उप-समिति की रिपोर्ट (2012);
- उमरिया, मध्य प्रदेश मेँ श्री चंद्रिका राय पत्रकार एवं उनके परिवार के तीन सदस्यों की हत्या पर भारतीय प्रेस परिषद की तथ्य खोजी समिति की रिपोर्ट (2012);
- गुजरात चुनाव-2012 के दौरान पेड समाचार पर इलेक्शन कवरेज मॉनिटरिंग कमिटि की रिपोर्ट (2013);
- स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक 2012 (2013);
- बिहार में प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन की शिकायतों के सभी पहलुओं की जांच कर रही तथ्य खोजी समिति की रिपोर्ट (2013);
- कर्नाटक निर्वाचन पर श्री यू. लक्ष्मण, सदस्य की पेड समाचार रिपोर्ट (2013);
- पेड समाचार से संबंधित मामले पर सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति की संस्तुतियों पर रिपोर्ट (2013);
- मुंबई में महिला फोटो पत्रकार के बलात्कार की घटना की जांच हेतु एक सदस्ययी समिति की रिपोर्ट (2013);
- मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दों पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से प्राप्त परामर्श पत्रों पर रिपोर्ट (2013);
- प्रिंट मीडिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की क्षेत्रक सीमाओँ की नीति की समीक्षा पर रिपोर्ट (2013);
- तेज़पुर, असम में नियामिया बार्ता के संवाददाता, श्री भुपेन नाथ की गिरफ्तारी पर एक सदस्ययी समिति की रिपोर्ट (2013);
- भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य, श्री राजीव साबाड़े के माध्यम से पुणे विश्वविद्यालय द्वारा भारत में प्रेस की समीक्षा 2008-2012 पर परियोजना (2014);
- फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश, मेँ सांप्रदायिक हिंसा पर रिपोर्ट (2015);
- "पत्रकार की सुरक्षा" पर उप-समिति और शाहजहांपुर,उ0प्र0 में श्री जगेंद्र सिंह, पत्रकार की हत्या की जांच हेतु तथ्य खोजी दल द्वारा की

गई संस्तुतियां;

- परिषद ने अपनी बैठकों में सिक्किम, उत्तराखंड और तेलंगाना से विज्ञापन के मुद्दे पर उप-समिति की रिपोर्ट और श्री तरुण कुमार मिश्रा, पत्रकार, जन संदेश टाइम्स, सुल्तानपुर, यूपी की हत्या के संबंध में डॉ. सुमन गुप्ता, सदस्य द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अंगीकार किया । (2016);
- परिषद ने हिंदी दैनिक, हिन्दुस्तान के सीवान ब्यूरो प्रमुख, श्री राजदेव रंजन एवं हिंदी टेलीविजन पत्रकार,श्री अखिलेश प्रताप सिंह यादव की चतरा, झारखण्ड में हुई हत्या पर तथ्य-जांच समिति द्वारा की गई अनुशंसा को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को उचित कार्रवाई के लिए रिपोर्ट अग्रेषित करने का निदेश दिया। । परिषद ने पेड न्यूज पर निगरानी समिति की रिपोर्ट और राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति पर नामित सदस्यों की रिपोर्ट को भी अंगीकार किया ।(2016);
- परिषद ने उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मेघालय राज्यों के लिए विज्ञापन के मुद्दे पर उप-समिति की रिपोर्ट को अंगीकार किया ।(2017);
- जम्मू और कश्मीर मीडिया से संबंधित मुद्दे पर उप-समिति की रिपोर्ट दिनांक 9.10.2017 को स्वीकार की गई।
- परिषद ने श्री शुजात भुकारी, प्रधान संपादक, राइजिंग कश्मीर की हत्या के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य में मीडिया परिदृश्य की जांच करने के लिए उप-समिति की रिपोर्ट को अंगीकार किया । भारतीय समाचार पत्रों में विदेशी समाचार पत्रों के मुद्रण उद्धरणों के संबंध में स्पष्टीकरण के मामले में, परिषद ने निर्णय लिया कि यदि भारतीय प्रकाशन द्वारा विदेशी मीडिया की सामग्री प्रकाशित की जाती है, तो संपादक पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।(2018);
- अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 9.7.2018 को पत्रकार पर हमले की तथ्य-खोजी समिति की रिपोर्ट अंगीकार की गई। परिषद ने वर्तमान मीडिया के प्रमुख पहलुओं का अध्ययन करने और सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विभिन्न तैनाती का आकलन करने के लिए

मीडिया आयोग के गठन की भी संस्तुति की।;

- परिषद ने धारा 41 ए सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी करने के संबंध में श्री रविंदर कुमार, संपादक और प्रबंध निदेशक, दी स्टेट्समैन लिमिटेड पर उप-समिति की रिपोर्ट और श्री चन्दन तिवारी, पत्रकार, आज की मृत्यु और 15.11.2018 को झारखंड दिवस पर पत्रकार पर पुलिस हमले को लेकर उप-समिति की रिपोर्ट को अंगीकार किया।(2019);
- परिषद ने अपनी बैठक में, श्री पी.के.दास, सदस्य, पीसीआई की पुडुचेरी में मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) की बैठक से संबंधित रिपोर्ट को अंगीकार किया। परिषद ने उत्तर प्रदेश के शामली में रेलवे पुलिस द्वारा पत्रकार पर हमले से संबंधित स्वप्रेरणा से कार्रवाई को मामले में तथ्य खोजी समिति की रिपोर्ट को भी अंगीकार किया। (2019);
- परिषद ने 10.02.2020 को हुई अपनी बैठक में पेड न्यूज पर रिपोर्ट में निहित संस्तुतियों को स्वीकार किया |

- परिषद ने भारतीय समाचार पत्रों में विदेशी समाचार पत्रों के उद्धरणों के मुद्रण के संबंध में उप-समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और संस्तुति की कि जहां विदेशी उद्धरणों को प्रकाशित किया गया है, वहां के समाचार पत्र के रिपोर्टर, प्रकाशक और संपादक, सामग्री के लिए जिम्मेदार होंगे, चाहे इसे प्राप्त करने का स्रोत कोई भी हो। परिषद ने सरकार को प्रेस परिषद अधिनियम में संशोधन करके इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और अन्य मीडिया को शामिल करते हुए, "मीडिया परिषद के गठन" का सुझाव दिया, जब भी इस तरह के विधान का प्रस्ताव दिया जाए,तो परिषद के विचार प्राप्त किये जायें | परिषद ने "द हिंदू", दिल्ली में 3.7.2020 को "चीनी मीडिया तक पहुँच पर प्रतिबंध: आईएनएस" के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट के संबंध में उप-समिति-डी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, चीनी मीडिया पर प्रतिबंध नहीं लगाने की संस्तुति की। परिषद ने हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई नीति के पैटर्न पर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ जुड़े पत्रकारों के लिए

समूह बीमा योजना तैयार करने और लागू करने के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार से संस्तुति की। (2020)

- परिषद ने ऑनलाइन समाचार मंच द्वारा गोपनीयता उल्लंघन, मीडिया परीक्षण और अपमानजनक समाचार रिपोर्टिंग पर कानूनी प्रतिनिधित्व के संबंध में उप-समिति की रिपोर्ट की संस्तुति को स्वीकार किया ।(2020)

विधानों पर राय

विधान, जिनपर प्रेस परिषद् ने अपनी राय दी है, चाहे स्व–प्रेरणा से कार्रवाई की गई हो अथवा अन्यथा, वे भी प्रेस से संबन्धित मामलों की व्यापक सीमा को कवर करते हैं । ऐसे विधानों में से कुछ निम्नानुसार थे:-

- अपराध और निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 1968;
- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1886 (1969);
- न्यायालय अवमानना विधेयक (1968);
- प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 (1971/1987);
- आंध्र प्रदेश (सांप्रदायिक अपराधी) विधेयक, 1984 (1984);
- कर्नाटक प्रेस की स्वतंत्रता विधेयक 1988 (1988);
- धर्मनिरपेक्षता संवर्धन विधेयक 1988;
- प्रेस विधेयकों में उत्तर देने का अधिकार 1988, 1990, 1991, 1994;
- संविधान (संशोधन) विधेयक, 1998; आबकारी संशोधन विधेयक, 1999;
- आतंकवाद निवारण अध्यादेश 2001;
- प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा रीमिक्स गानों और अभद्र, अश्लील एवं सरोगेट विज्ञापनों के प्रसारण अथवा प्रकाशन का निषेध विधेयक, 2004;
- सांप्रदायिक हिंसा (पीड़ितों की रोकथाम, नियंत्रण और पुनर्वास) विधेयक, 2005; गैर सरकारी सदस्य का विधेयक 2007;
  उपभोक्ता वस्तुएं (विज्ञापन के साथ मूल्य का प्रकाशन) राज्य सभा में पेश;

- तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के अंतर्गत नियमों में संशोधन;
- प्रेस परिषद ने वर्ष 2000 में मीडिया कानूनों को अपडेट करने के उद्देश्य से तैयार की गयी प्रश्नावली पर केंद्र सरकार के सम्मुख अपने विचार भी व्यक्त किये जैसे प्रेस एवं पंजीकरण अपील बोर्ड अधिनियम, 1867, संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम, 1977, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 तथा सिनेमैटोग्राफी अधिनियम 1952;
- संविधान के अध्याय III में प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना की स्वतंत्रता को व्यक्त अधिकारों के रूप में सम्मिलित करने पर संविधान समीक्षा सलाहकार समिति;
- औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954;
- औषधि और चमत्कारिक उपचारों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध;
- समाचारपत्र उद्योग में संविदा पर श्रम के निषेध पर विधान और श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम एवं अन्य समाचारपत्र कर्मचारी सेवा शर्त और विविध प्रावधान अधिनियम 1955 मेँ संशोधन;
- राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति का मसौदा |
- विख्यात मीडिया घरानों में से एक द्वारा कुछ लेखकों पर प्रतिबंध;
- थैलेसीमिया मेजर की रोकथाम और सभी समर्थ नागरिकों द्वारा नियमित रक्तदान की आवश्यकता के संबंध में;
- किडनी की बिक्री व्यापार का पर्दाफाश करने के लिए "स्टिंग ऑपरेशन" के अंश के रूप में "स्टार न्यूज़" और "जागरण समाचार" से जुड़े विज्ञापन;
- भारतीय संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा सूचना के अधिकार के अधिनियमन हेतु अभियान में परिषद ने सक्रिय रूप से भाग लिया और इसके संबंध में मसौदा भेजा; तभी से वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ;
- मीडिया में रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतलों को जलाने के सार्वजनिक प्रदर्शन और मीडिया में राशिफलों के प्रकाशन पर प्रतिबंध के

संबंध में जनहित याचिका;

- चमत्कारिक तरीकों से भोले-भाले लोगों को धोखा देकर अलौकिक शक्तियों के प्रयोग और रेडियो, टी.वी. और समाचारपत्रों के माध्यम से तांत्रिकों के प्रचार पर रोक लगाना;
- प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा रीमिक्स गानों और अभद्र, अश्लील तथा सरोगेट विज्ञापनों के प्रकाशन अथवा प्रसारण के निषेध संबंधी विधेयक 2004;
- विज्ञापनों पर नियंत्रण के लिए तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम,2003 के अंतर्गत नियमों में संशोधन;
- न्यायालय अवमानना (संशोधन) विधेयक, 2004 पर माननीय अध्यक्ष महोदय की राय;
- "बेरोजगार व्यक्तियों के हितों की रक्षा की दृष्टि से रोजगार के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले समाचार पत्र में फर्जी विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता" के संबंध में श्रीमती करुणा शुक्ला, सांसद, मध्य प्रदेश, द्वारा उठाया गया मामला
- ग्रेटर बॉम्बे (टाडा कोर्ट) में बम विस्फोट मामलों के लिए निर्दिष्ट न्यायालय में दर्ज़ एम.ए.सं. 399 अबू सालेम अब्दुल कयूम अंसारी बनाम महाराष्ट्र राज्य और सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय;
- विज्ञापन स्तर नियामक आयोग ए.एस.आर.सी.)हेतु प्रस्तावित कानून;
- बोगस विज्ञापन विधेयक, 2006 पर रोक;
- प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दुरूपयोग और संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता के संबंध में याचिका;
- भ्रामक विज्ञापन की रोकथाम हेतु अल्पावधि उपाय;
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त संदर्भ
- (i)आईटी-प्रिंट मीडिया और सामाजिक लोकाचार पर स्थायी समिति द्वारा 2007-2008 के लिए चुने गए विषयों के परीक्षण और (ii) आपराधिक न्याय पर राष्ट्रीय नीति के मसौदे के संबंध में; पर्फेटी वैन मेले इंडिया

प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अपील संख्या 698/03 में केरल उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, वज़ुथाकौड, तिरुवनंतपुरम का निर्णय दिनांक 13.10.2009 के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रलाय से प्राप्त संदर्भ;

- लिब्रहन अयोध्या जांच आयोग की रिपोर्ट- उस पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन;
- मीडिया कंपनियों द्वारा निजी संधियों के संबंध में भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) से प्राप्त संदर्भ;
- परिषद ने महाराष्ट्र पत्रकारों, मीडिया कर्मियों और समाचार आधारित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया घरानों या समाचार स्टेशनों या समाचार पत्र प्रतिष्ठान (संपत्ति पर हमले और क्षति या संपत्ति के नुकसान को लेकर हिंसा की रोकथाम) अधिनियम, 2015 में संशोधन का प्रस्ताव दिया;
- प्रेस परिषद ने डीएवीपी विज्ञापन नीति 2016 में संशोधन का प्रस्ताव रखा;
- परिषद ने 21-22/09/2020 को आयोजित अपनी बैठक में समाज हित में स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन के लिए समिति की रिपोर्ट मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण एवं पुनर्वास विधेयक), 2020 पर विधेयक का मसौदा स्वीकार किया;
- प्रेस परिषद (व्यक्तियों के संगमों के लिए अधिसूचना हेतु प्रक्रिया) नियम, 2021 को राजपत्र अधिसूचना दिनांक 5 फरवरी, 2021 के जरिये अधिसूचित किया गया;

आचार संहिता

परिषद ने निरंतर प्रेस को रिपोर्टिंग में संयम और सावधानी बरतने का परामर्श दिया है। यह इसे लेकर सहमत है कि एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए कि जिसमें, स्व-नियमन के माध्यम से प्रेस अपनी स्वतंत्रता और अपने दायित्व के निर्वहन के बीच समुचित संतुलन सुनिश्चित करे । यही मूल उद्देश्य है जिसे बढ़ावा देना और संजोना प्रेस परिषद चाहती है । इसी क्रम में,

परिषद द्वारा दिये गये न्यायनिर्णयों और अन्य उद्घोषणाओं के आधार पर, परिषद ने कई वर्षों में सिद्धांत बनाये हैं, जिन्हें पत्रकारों द्वारा वृतिक कर्त्तव्यों के निर्वाह में अपने आचरण को नियमित करने के लिए समुचित विवेक सहित अंगीकार करके लागू किये जाने की आशा की जाती है । इस संबंध में, अब तक परिषद द्वारा निम्नलिखित का प्रकाशन किया गया है :

1. पत्रकार आचरण मार्गदर्शिका 1995 संस्करण
2. पत्रकारिता के आचरण के मानक 2005 संस्करण
3. पत्रकारिता के आचरण के मानक 2010 संस्करण
4. पत्रकारिता के आचरण के मानक 2019 संस्करण
5. पत्रकारिता के आचरण के मानक 2020 संस्करण

<u>परिषद की निदेशिका</u>

दिनांक 16.11.2019 तक की राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2019 के अवसर पर सभी अध्यक्षों, सदस्यों और सचिवों की जानकारी वाली परिषद की पहली निदेशिका का विमोचन किया गया।

<u>राष्ट्रीय प्रेस दिवस:</u>

वर्ष 1966 में 16 नवंबर को परिषद की स्थापना का दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। पत्रकारिता में नैतिकता और स्वतंत्र प्रेस के प्रतीक के रूप में भारतीय प्रेस परिषद द्वारा हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ-साथ परिषद द्वारा इस अवसर पर 2012 से पत्रकारों को उत्कृष्ट पत्रकारिता संबंधी राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है ।

<u>समझौता ज्ञापन</u>

शांति पत्रकारिता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में सहयोग करने के उद्देश्य से भारतीय प्रेस परिषद और पड़ोसी देशों के बीच निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए:

- भारतीय प्रेस परिषद और प्रेस परिषद नेपाल के बीच 22 सितंबर 2014

को दो वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसे दो बार, 17.11.2016 को और आगे 16.11.2018 को नवीनीकृत किया गया ।

- भारतीय प्रेस परिषद और बांग्लादेश प्रेस परिषद के बीच 17.11.2016 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- भारतीय प्रेस परिषद और म्यांमार प्रेस परिषद के बीच 6.9.2017 को पांच वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन।
- भारतीय प्रेस परिषद और श्रीलंका प्रेस परिषद के बीच 16.11.2018 को पांच वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन।

<u>इंटर्नशिप प्रोग्राम :</u>

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13(2) (ख), (ग) और (घ) के अधिदेश के अनुसार, भारतीय प्रेस परिषद ने, पत्रकारिता के छात्रों के लिए, इंटर्नशिप कार्यक्रम यानी ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम और शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम वर्ष में, प्रत्येक सत्र में 30 दिनों की अवधि के लिए, शुरू किया है। परिषद द्वारा निम्नलिखित इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

1. एसआईपी (ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम), 3 जून 2019 से 2 जुलाई 2019 तक
2. डबल्यूआईपी (शीतकालीन इंटर्नशिप प्रोग्राम), 2 जनवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2020 तक
3. कोविड 19 महामारी के कारण, 2020 से इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जा सके।

<u>प्रकाशन*:</u>

1. वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी/हिंदी)
2. प्रेस परिषद समीक्षा (अंग्रेजी/हिंदी)
3. पत्रकारिता के आचरण के मानक (अंग्रेजी/हिंदी)

*परिषद की वेबसाइट www.presscouncil.nic.in पर उपलब्ध हैं